हेतु [illegible] [illegible] [illegible] है

अतः पत्रावली पेश करने [illegible]

वादी दि० 10.4.19 को पेश हो।

10-4-19 वकील प्रार्थी उपस्थित साक्ष्य प्रार्थी मे धन्नराज व महावीर के शपथपत्र पेश किये वास्ते बहस पत्रावली ~~[illegible]~~ 24-4-19 को पेश हो।

24-4-19 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। पुनरावृत्ति कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 19-6-19 को पेश हों।

19-6-19 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 27-6-19 को पेश हों।

27.6.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ~~[illegible]~~ उप०। सरकार की ओर से पूर्व में C.A.R. जवाब पेश हो चुका है जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में किया जाना अंकित बताया। वकील वादी की बहस सुनी गई। अतः राजस्व रिकार्ड में वास्तविक नाम राजस्व

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज करने हेतु वाद स्वीकार किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी स्वीकार की जावें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जावें। (हस्ताक्षर) 27.6.19 उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 61/2018 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 30.01.2018 गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. रामप्रसाद आत्मज गेन्दीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– वादी –

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रतिवादी –

अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट
वाद घोषणा

निर्णय दिनांक :– 27.06.2019

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 73 जिसका खसरा नं0 635 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नं0 636 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नं0 1241/1 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नं0 1242/1 रकबा 0.68 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 3.87 हैक्टर वाके ग्राम देहीखेडा में विस्थित है जिसका खातेदार टीनेन्ट वादी है और काबिज होकर काश्तकारी करता आ रहा है तथा राज्य सरकार को समय समय पर लगान पिलाई अदा करता आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम चौथमल आत्मज गेन्दीलाल कोम ब्राहम्ण दर्ज हो रहा है जबकि वास्तविक नाम सरकारी रिकार्ड के अनुसार रामप्रसाद दर्ज है लेकिन गलती से राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड में चौथमल नाम दर्ज कर दिया है जो गलत है। जबकि चौथमल को गॉव में रामप्रसाद के नाम से जाना जाता है। इसलिये रामप्रसाद नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है क्योकि वादी को सरकारी योजनाओं में फायदा लेने मे भारी परेशानी का सामना करना पडता है जबकि अन्य दस्तावेज में वादी का नाम रामप्रसाद दर्ज हो रहा है इसलिये वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय में विधिवत रूप से अपने नाम की घोषणा करवाये। वादी द्वारा दिनांक 20.06.2017 को प्रतिवादी तहसीलदार के समक्ष खाते में नाम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब नही दिया गया न ही खाते में शुद्धि की गई।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर वादी का वास्तविक नाम शुद्ध किये जाने पर सहमति जाहिर की गई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 73 वाके ग्राम देईखेडा खसरा गिरदावरी सम्वत 2074, ग्राम पंचायत देईखेडा का प्रमाण पत्र पेश किये एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सन 1971 स्वयं का सर्टिफिकेट, स्व्यं का राशनकार्ड आधारकार्ड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड स्वयं का विद्युत बिल की छाया प्रतियां बतौर सबूत पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 स्वयं का शपथ पत्र, गवाहान पी. डब्लू. 2 धनराज पुत्र कालूलाल, पी.डब्लू. 3 महावीर पुत्र सत्यनारायण निवासीगण देईखेडा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि वादी का वास्तविक नाम रामप्रसाद है। किन्तु राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 73 में वादी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा रामप्रसाद के स्थान पर चौथमल दर्ज कर दिया गया। जो गलत है। चौथमल उर्फ रामप्रसाद पुत्र गेंदीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में चौथमल के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र गेंदीलाल किया जावें।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 73 जिसका खसरा नं0 635 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नं0 636 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नं0 1241/1 रकबा 1.26 हैक्टर, खसरा नं0 1242/1 रकबा 0.68 हैक्टर, कुल किता 4 कुल रकबा 3.87 हैक्टर वाके ग्राम देहीखेडा में विस्थित कृषि भूमि में खातेदार चौथमल पुत्र गेंदीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रामप्रसाद पुत्र गेंदीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय दिनांक 27.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

मुकाम लाखेरी

बाज अदालत उपखण्ड अधिकारी

व इजलास श्री गोरधनलाल मीना RAS.

रामप्रसाद आत्मज गेन्दीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ वादी बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी

दावा बाबत 88, 89 आर-टी-ए

सन

मुकदमा नम्बर 61/दावा/18 व हाजिरी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है कि खाता सं. 73 ख.न. 635 रकबा 1.26 है ख.न. 1242/1 0.31 है ख.न. 636 रकबा 1.62 हैक्ट. ख.न. 1241/1 रकबा 0.68 हैक्टर किता 4 योग रकबा 3.87 हैक्टर वाके ग्राम देईखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ में विस्थित कृषि में खातेदार चौथमल पुत्र गेन्दीलाल का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर रामप्रसाद पुत्र गेन्दीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा इन बाबत

निज मुबलिग फीसदी सालाना आज की तारीख

मुकद्दमें के मय सूद बशरह का अदा करें।

से तारीख अदायगी तक

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27-6-2019 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।